संख्या-51/2018/444/26-3-2018-4(154)/2005टी.सी.।

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 मार्च 2018

विषयः-वर्ष 2017-18 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय,सोनहा खीरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-398/21/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-05.02.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत योजना 'केन्द्रपुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन' में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-250.00 लाख के सापेक्ष उक्त शिक्षण संस्थान हेतु निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रूपया-220.31 लाख (रूपया दो करोड़ बीस लाख इक्कतीस हजार मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रूपया-110.21 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख इक्कीस हजार मात्र) धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के.100/रा.0-के.) -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-51/2018/444(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-51/2018/444/26-3-2018-4(154)/2005टी0सी0, दिनांक-19 मार्च 2018 का संलग्नक

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरीके संचालन हेतु वर्ष 2017-18 की विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीककृति का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	मद का नाम	2017-18 हेतु वांछित कुल प्रस्ताव (रू0 लाख में)	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराषि (रू0 लाख में)	द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित धनराषि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	वेतन	70.30	35.15	35.15
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय	6.00	3.00	3.00
3	भोजन व्यवस्था पर व्यय (रू0 2250/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह) रु. 85.05 लाख में	86.85	43.42	43.43
	"ीत अवकाश में कक्षा 10 व 12 की भोजन व्यवस्था पर व्यय (20 दिन हेतु) रु. 1.80 लाख में			
4	पाठ्य पुस्तकें	3.60	1.80	1.80
	6 से 8 (रु. 400/- प्रति छात्र) रु. 0.72 लाख में।			
	9 से 10 (रु. 900/- प्रति छात्र) रु. 1.08 लाख में।			
	11 से 12 (रु 1500/- प्रति छात्र) रु. 1.80 लाख में।			
5	यूनीफार्म पर व्यय (रु. 2500 /- प्रति छात्र)	10.50	5.25	5.25
6	दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री (रू0 1000/- प्रति छात्र)	4.20	2.10	2.10
7	अन्य विविध व्यय	9.07	4.50	4.57
	1. चिकित्सा व्यय (रु 30/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से) रु. 1.13 लाख में			
	2. स्टेशनरी पर व्यय (रु 100/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से) रु. 4.20 लाख में			
	3. स्कूल बैग (रु. 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष कक्षा 6 व 9) रु. 0.36 लाख में			
	4. अंशकालिक चिकित्सा फीस (रु 5000/- प्रति माह) रु. 00.45 लाख में			
	5. सी.बी.एस.सी. बोर्ड फीस, रजि. फीस रु. 1.50 लाख में			
	6. 420 छात्रों हेतु यात्रा (रु. 20/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से) रु. 0.75 लाख में			
	7. छात्राओं की हाइजिनिक व्यवस्था हेतु (रु. 60/- प्रति छात्रा/माह) रु. 1.13 लाख में			
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (विज्ञान तथा कम्प्यूटर)	2.29	1.14	1.15
9	बिस्तर की व्यवस्था (600 रु. प्रति छात्र)	2.52	1.26	1.26
10	नवीन छात्रावास में छात्रों की बेड व्यवस्था हेतु	5.75	2.87	2.88
11	बर्तनों की व्यवस्था	0.40	0.20	0.20
12	किचन में गैस प्लान्ट की व्यवस्था	1.00	0.50	0.50
13	पुस्तकालय की व्यवस्था	1.00	0.50	0.50
14	जनरेटर की व्यवस्था	2.83	1.41	1.42
15	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों का भुगतान पर व्यय	11.00	5.50	5.50
16	अनुरक्षण (प्रशासनिक, छात्रावास, मे"। एवम् आवास पुताई, अन्य मरम्मत कार्य)	3.00	1.50	1.50
	योग-	220.31	110.10	110.21

(रू0 एक करोड़ दस लाख इक्कीस हजार मात्र)

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।